कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
25-11-22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं स्वयं प्रतिवादी उप० नहीं। वकील वादी एवं स्वयं प्रतिवादी को तीन बार आवाज लगवाई गई। बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं। अतः वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।